(3)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 09/2015–16
अनवारूल शेख एवं 16 आना रैयत
बनाम
मो0 शिशु नदाब वगै0
आदेश

06.05.2017

यह नामांतरण अपील आवेदक अनवारूल शेख एवं 16 आना रैयत, पिता– स्व0 समसुदीन शेख, सा0– चांदशहर, अंचल– उधवा, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी उधवा के नामांतरण वाद सं0 657/2004–05 में दिनांक 18.01.2005 के विरूद्ध दायर की गई है। साथ ही लिमिटेशन एक्ट 05 के तहत् कालक्षन्ति आवेदन दाखिल की गई है। जिससे स्वीकृति के पश्चात् यह अपील वाद दिनांक 29.02.2016 को प्रारंभ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा– जगतवाटी के जमाबंदी नं0 112 दाग नं0 123 कुल रकवा 01 बीघा 02 कट्ठा 15 धूर भूमि है।

इस नामांतरण अपील वाद में उभय पक्षों को नोटिश निर्गत की गई। विधिवत् नोटिश तामिला प्राप्त होने के पश्चात उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा लिखित बहस एवं अपीलार्थी की ओर से कागजात दाखिल किये हैं तथा निम्न न्यायालस से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा जगतवाटी के जमाबंदी नं0 112 दाग नं0 123 कुल रकवा 03 बीघा 04 कट्ठा 03 धूर भूमि जो खतियान में गैर मजरूवा खास भूमि कहकर दर्ज है के आंशिक रकवा 01 बीघा 02 कट्ठा 15 धूर का अनाधिकृत एवं गैर कानूनी रूप से अंचल अधिकारी, उधवा ने नामांतरण वाद सं0 657/04–05 में दिनांक 18.01.2005 को मो0 शिशु नदाब के नाम से दाखिल खारिज कर दिये है। उक्त प्रश्नगत भूमि पर किसी भी ग्रामीण या 16 आना रैयत का बंदोबस्त नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि के पोखर को ग्रामीण एवं आम रैयत नहाने एवं कृषि कार्य के लिए पिछले 150 वर्षो से उपयोग कर रहे है। उन्होने कहा कि पर्चा बनाने के समय बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि के तलाब की बन्दोबस्ती मछली पालन के उद्देश्य से जॉन दास पिता लखनचन्द्र दास एवं आशुतोष राय पिता नीलकंठ राय के नाम अस्थायी तौर पर बंदोबस्त की गयी थी। दोबारा अथवा अंतिम रूप से बन्दोबस्ती हेतु उक्त प्रश्नगत भूमि मौजा जगतवाटी के जमाबंदी नं0 112 दाग नं0 123 रकवा 03–04–03 धूर भूमि पर मौजा के किसी भी ग्रामीण का 16 आना रैयतों के द्वारा किसी भी तरह का आवेदन दायर नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पूर्णतः गैर मजरूआ खास है। उत्तरवादी ने साजिश के तहत् फर्जी केवाला सं0 2401 दिनांक 26.06.2004 एवं 3226 दिनांक 17.08.2004 के द्वारा फर्जी विक्रेता सुधीर रंजन बनर्जी एवं अन्य के नाम से है, जिसके अधिकार दखल एवं स्वत्व में नहीं है, क्रय कर प्राप्त किये हैं।

अतः अपीलार्थी का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0 657/04–05 में दिनांक 18.01.2005 के आदेश को अपास्त (Set-a-side) करने का अनुरोध किये हैं।

जबाब में उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) का अधिनियम 1973 की धारा 05 के अनुसार 30 दिनों के अंदर अपील आवेदन दायर किये जाने हैं, लेकिन अपीलार्थी ने लगभग 10–11 वर्षो बाद यह अपील आवेदन दायर किये है। जो कालबाधित है। अतः अपीलार्थी का आवेदन चलने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रश्नगत भूमि गेंजर सर्वे पर्चा में अनावादी कहकर दर्ज है। लेकिन मछली पालन के उद्देश्य से अभ्युक्ति कॉलम में लखनचन्द्र और आशुतोष के नाम से दर्ज है। इसके विरूद्ध में बंदोबस्त पदाधिकारी के पास कोई भी ग्रामीण या 16 आना रैयत के द्वारा अपील आवेदन अथवा स्वत्व से संबंधित वाद दायर नहीं किये है। जमीनदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात राज्य सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत् माननीय न्यायालय के द्वारा गैर मजरूआ भूमि पर श्रेणीवार रैयतों को बंदोबस्त किया गया। गेंजर सर्वे के पूर्व उक्त भूमि पर लखनचन्द्र राय एवं आशुतोष राय को बंदोबस्त किया गया एवं लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे है। इस प्रकार जमीनदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात पंजी II में लखनचन्द्र दास का नाम दर्ज

Scanned with OKEN Scanner

है। उन्होने यह भी कहा कि जब उत्तरवादी के नाम से जमाबंदी सृजन किया गया, तब किसी भी ग्रामीण या 16 आना रैयतों के द्वारा जमाबंदी का सृजन या विक्रय केवाला की चुनौती नहीं दी गई। शिशु नदाब एवं अन्य ने 17 कट्ठा 04 धूर भूमि निबंधित केवाला सं0 2401 दिनांक 26.06.2004 के द्वारा एवं 05 कट्ठा 11 धूर भूमि निबंधित केवाला सं0 3226 दिनांक 17.08.2004 के द्वारा सुधीरचन्द्र बनर्जी से क्रय कर प्राप्त किये हैं तथा पंजी II में रकवा 01 बीघा 02 कट्ठा 15 धूर भूमि शिशु नदाब एवं अन्य के नाम से दर्ज है। अन्त में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी का आवेदन काल बाधित है। प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के नाम से पंजी II में दर्ज है, तथा उनके शांतिपूर्ण दखल में है।

अतः उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0 657/04–05 में दिनांक 18.01.2005 को पारित आदेश को बरकरार रखने हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, उधवा के पत्रांक 130/रा0, दिनांक 26.04.2016 के द्वारा मूल अभिलेख सं0 657/04–05 प्राप्त हुए है। प्राप्त नामांतरण अभिलेख सं0 657/04–05 में संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जमाबंदी रैयतों के पुत्रगण से निबंधित केवाला सं0 2401 दिनांक 26.06.2004 एवं 3226 दिनांक 17.08.2004 के द्वारा खरीद का प्राप्त कर शांतिपूर्वक दखल भोग कर रहे है। अंचल अधिकारी, उधवा ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में उत्तरवादी के नाम नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किये हैं:–

1. पर्चा की छाया प्रति का हिन्दी अनुवाद के साथ
2. वाद अभिलेख सं0 128/2016 (बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के अंतर्गत) मो0 शिशु नदाब एवं अन्य के नाम दिनांक 20.08.2016 को निर्गत नोटिश की छाया प्रति।
3. ग्रामीणों द्वारा बैठक की कार्यवाही एवं
4. स्वत्व अपील वाद एवं पर्चा की छाया प्रति कुल 22 पन्नों में।

उत्तरवादी की ओर से अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार का कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं:–

1. प्रश्नगत भूमि मौजा जगतवाटी के खाता नं0 112 दाग नं0 123 का सम्पूर्ण रकवा 03 बीघा 04 कट्ठा 03 धूर भूमि गेंजर सर्वे पर्चा में गैर मजरूआ खास भूमि कहकर दर्ज है।
2. अंचल अधिकारी, उधवा के संदिग्ध जमाबंदी वाद अभिलेख सं0 128/2016 में मो0 शिशु नदाब, इमानी नदाब एवं मो0 मोतालेब नदाब पिता मुरतजा नदाब सा0 चांदसर को बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के अंतर्गत सूचना निर्गत की गई है। जिसमें अंचल अधिकारी ने खाता सं0 112 दाग नं0 123 रकवा 01 बीघा 02 कट्ठा 15 धूर से संबंधित हल्का नं0 06 के पंजी II भाग III के पृष्ठ सं0 33 पर दर्ज जमाबंदी संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0 657/04–05 में दिनांक 18.01.2005 के आदेश को अपास्त (set-a-side) किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, उधवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें।

लेखापित एवं संसोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल।

60/ग्रष्ठ
27.5.17

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं दि०	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

05/02/21

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0आर0 वाद सं0 05/2017–18

शिशू नादाव वगै0 –बनाम– अनवारूल शेख वगै0

आवेदकगणः– 1. मो0 शिशू नादाव,
2. मो0 ईमानी नादाव,
3. मो0 अब्दुल मुथलेव नादाव, सभी पेसरान स्व0 गुर्तजा नादात, सा0–चाँदशहर, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादीः– 1. अनवारूल शेख, पे0–स्व0 समसुद्दीन शेख,
2 16 आना रैयत, सा0–चाँदशहर, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत आर0एम0आर0 वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायांतरण अपील वाद सं0 09/2015 16 (अनवारूल शेख एवं 16 आना रैयत –बनाम– मो0 शिशू नादाव वगै0) में दिनांक 06.05.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदकगण शिशू नादाव, पे0–स्व0 मुर्तजा नादाव, सा0–चाँदशहर, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज द्वारा रिविजन वाद दायर कर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल द्वारा पारित आदेश को चुनौती दिया गया। आवेदन के अवलोकनोपरान्त वाद को अंगीकृत किया गया। विधिवत विपक्षी को नोटिस निर्गत कर सूचना निर्गत किया गया एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से मूल अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के पत्रांक 113/भु0सु0, दिनांक 13.11.2017 से मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि मौजा–जगतवाटी जमाबदी नं0–112, दाग नं0–123, रकवा 01 बीघा 02 कट्ठा 15 धूर जमीन निर्बंधित केवाला सं0 2401, दिनांक 26.06.2004 रकवा 17 कट्ठा 04 धूर एवं केवाला सं0–3226, दिनांक 17.08.2004 रकवा 05 कट्ठा 11 धूर के द्वारा खरीदकर दखलकार है। दखल कब्जे वाली जमीन को अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0–657/2004–05 में सुनवाई के उपरान्त दिनांक 18.01.2005 को आदेश पारित किया गया है। विपक्षी अंचल अधिकारी, उधवा के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0 657/2004–05 दिनांक 18.01.2005 के पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) कर दिया गया, जो नियमानुकूल नहीं है।

आगे आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि विपक्षी के द्वारा 10/11 वर्ष बीत जाने के पश्चात निम्न न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया, जो चलने लायक नहीं था फिर भी उसे अंगीकृत कर सुनवाई कर लिया गया, जो कानूनन वैध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदन को कालबाधित मानते हुए अपील आवेदन को खारिज कर देना चाहिए।

आवेदक का आगे यह भी तर्क है कि निम्न न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के अंचल अधिकारी, उधवा के पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि प्राईवेट तालाब है, जिसमें केवल मछली पालन का कार्य ही किया जाता है। लेकिन पर्चा के रिमार्क कॉलम में लखन चन्द्र और आशुतोष राय का नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि अनाबादी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आ ा पर की गई कार्यवाही

खास की भूमि है, परन्तु लखन चन्द्र और आशुतोष के दखल कब्जे में हैं, जिसके द्वारा लगान दिया जा रहा था। लखन चन्द्र और आशुतोष का नाम पंजी–II में दर्ज होने से किसी रैयत द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। आवेदकगण संबंधित रैयत के वैध उत्तराधिकारी से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद कर नामांतरण कराकर दखल कब्जा में हैं।

आगे उन्होंने अपने तर्क में यह भी कहा कि अगर विज्ञ निम्न न्यायालय को अंचल अधिकारी के वैध आदेश में किसी तरह का दखल न देकर विपक्षी को सक्षम न्यायालय में निबंधित केवाला को चुनौती देने हेतु आदेश देना चाहिए, जो नहीं किया गया।

उन्होंने अपने तर्क में यह भी कहा कि विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल को नामांतरण के मामले में दखल कब्जा एवं सही दस्तावेज देखा जाना चाहिए ना कि किसी के अधिकार एवं स्वत्व को देखना चाहिए। नामांतरण की प्रक्रिया सिर्फ दखल कब्जा के आधार पर ही की जाती हैं एवं उक्त प्रक्रिया में स्थल जाँच कर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन समर्पित की जाती है। तदोपरान्त अचल अधिकारी द्वारा अनापत्ति के आभाव में नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसके लिए आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के PLJR(Ranchi Bench) C.W.J.C No. 46/1981(P) दिनांक 03.07.1987 Dupta Tewari and Others vs- State of Bihar and Other में दिनांक 03.07.1987 को In the Matter of an application under Articles 226 and 227 of the constitution of India. दाखिल कर कहा कि Mutation Order with regard to mutation has to be passed on basis of possession only authorities concerned cannot decide a disputed and complicated question of title in mutation proceeding. High court will not interfere with finding of facts by mutation authoritics wich have been arrived of after considering all relevant facts. Interference will be called for only it orders suffer from the vice of total non-application of mind or are otherwise malafide (Para 6 and 7)

इस प्रकार अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा नामांतरण वाद सं0 657/2004–05 दिनांक 18.01.2005 के पारित आदेश नियमानुकूल है, जिसे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल को अपास्त नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के पारित आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया।

जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि मौजा जगतवाटी जमाबदी न0–112, दाग न0–123 कुल रकवा 03 बीघा 04 कट्ठा 03 धूर भूमि खतियान में गैर मजरूआ खास कहकर दर्ज है, जिसका आंशिक रकवा 01 बीघा 02 कट्ठा 15 धुर अनाधिकृत रूप से अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0 657/2004–05 दिनांक 18.01.2005 को मो0 शिशु नादाव के नाम से दाखिल कर दिये। उक्त प्रश्नगत भूमि पर किसी भी रैयत या 16 आना रैयत के नाम से बंदोबस्त नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि में अवस्थित पोखर को ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाये जाते है।

उन्होंने आगे यह भी अपने तर्क में उल्लेख किये कि जिस समय बंदोवस्त पदाधिकारी द्वारा पर्चा की खानापूर्ति कर रहे थे उस समय पर्चा में तालाब की बन्दोवस्ती मछली पालन के उद्देश्य से जॉन दास, पिता–लखन चन्द्र दास एवं आशुतोष राय, पिता–नीलकंठ राय के नाम से अस्थायी तौर पर बन्दोवस्त की गई थी। प्रश्नगत भूमि मौजा जगतवाटी के जमाबंदी नं0–112, दाग नं0–123 रकवा 03 बीघा 04 कट्ठा 03 धूर भूमि पर 16 आना रैयत द्वारा बन्दोवस्ती के लिए कभी भी आवेदन दायर नहीं किये है। प्रश्नगत भूमि पूर्णतः गैर मजरूआ खास है। आवेदक फर्जी केवाला सं0 2401 दिनांक 26.06.2004 एवं 3226 दिनांक 17.08.2004 द्वारा फर्जी विक्रेता सुधीर रंजन बनर्जी एवं अन्य से खरीदा गया है। प्रश्नगत भूमि उसके दखल एवं स्वत्व में कभी नहीं था। क्रय कर प्राप्त किये है।

उन्होंने यह भी कहा कि अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण वाद सं0 657/2004–05

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

में दिनांक 18.01.2005 को पारित आदेश, जो अवैध है क्योंकि प्रश्नगत भूमि के नामांतरण के संबंध में मौजा के 16 आना रैयतों को सूचना नहीं दी गई, जिसे सत्य मानते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के द्वारा अंचल अधिकारी, उधवा के पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करना नियमानुकूल सत्य है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0 09/2015–16 में दिनांक 06.05.2017 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखते हुए अपील आवेदन खारीज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से प्राप्त अभिलेख में उपलब्ध कागाजातों के अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता होता है कि विवादित भूमि अंचल उधवा अन्तर्गत मौजा जगतवाटी थाना नं0–230, जमाबंदी नं0–112, दाग नं0–123 रकवा 03 बीघा 03 कट्ठा 15 धूर भूमि खतियान में अनावादी खास कहकर दर्ज है, जिसकी कैफियत कॉलम में मछली पालन हेतु लखन चन्द्र राय, पिता–बैकुण्ठ राय, आशुतोष राय, पिता–स्व0 नीलकंठ राय के नाम से दर्ज हैं। आवेदक ने प्रश्नगत भूमि की अंश रकवा निबंधित केवाला सं0 2401 दिनांक 26.06.2004 रकवा 17 कट्ठा 04 धूर एवं निबंधित केवाला सं0–3226 दिनांक 17.08.2004 रकवा 05 कट्ठा 11 धूर कुल रकवा 01 बीघा 02 कट्ठा 15 धूर भूमि सुधीर रंजन बनर्जी, (2) चितरंजन बनर्जी, (3) सुनील कुमार बनर्जी, (4) निहार रंजन बनर्जी, पिता लखन चन्द्र बनर्जी एवं (5) प्रभात रंजन बनर्जी, पिता स्व0 लखन चन्द्र बनर्जी से खरीद कर दखलकार है। प्रस्तुत कागजात के अनुसार आवेदक द्वारा अपने नाम से नामातरण करा लिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। प्रश्नगत भूमि अनावादी खास भूमि के अन्तर्गत पुष्करणी (पोखर) खतियान में दर्ज है। फिर किस आधार पर प्रश्नगत भूमि का निबंधन हो गया। अंचल अधिकारी, उधवा बिना खतियान देखे पुष्करणी (पोखर) को अपीलार्थी को नामांतरण कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया, जिसे नहीं किया जाना चाहिए। अगर खतियान में गैर मजरूआ खास भूमि दर्ज है तो निबंधन करने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण अपील वाद सं0 09/2015–16 (अनवारूल शेख वगै0 –बनाम– मो0 शिशू नादाव वगै0) में दिनांक 06.05.2017 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखा जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल एवं अंचल अधिकारी, उधवा को आदेश दिया जाता है कि गैर मजरूआ खास भूमि से अपीलार्थी को हटाते हुए प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में दर्ज करावे। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत कराते। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
साहेबगंज।

उपायुक्त
साहेबगंज।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 4	आदेश पर की गई कार्यवाही

ज्ञापांक 37 /विधि, साहेबगंज, दिनांक – 24/2/2022

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, उधवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 1. मो0 शिशू नादाव, 2. मो0 मो0 ईमानी नादाव, 3. मो0 अब्दुल मुथलेव नादाव, सभी पे0–स्व0 मुन्नजा नादाव, सा0–चाँदशहर, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 1. अनवारूल शेख, पे0–स्व0 समसुद्दीन शेख, सा0–चाँदशहर, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/22

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
साहेबगंज।
24/02/2022

Digitally signed by Bimal Soren
Date: 2024.07.25 17:15:59 +05:30
Location: 192.168.29.58

Scanned with OKEN Scanner